बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक–29/07/2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय :– **चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 2488.65 लाख (चौबीस करोड़ अठासी लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 में 969.81554 लाख (नौ करोड़ उनहत्तर लाख एकासी हजार पाँच सौ चौवन) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 2488.65 लाख (चौबीस करोड़ अठासी लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 में 969.81554 लाख (नौ करोड़ उनहत्तर लाख एकासी हजार पाँच सौ चौवन) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–पी.पी.एम.–232 दिनांक 30.03.2026 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 2488.65 लाख (चौबीस करोड़ अठासी लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 755.40 लाख (सात करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी थी। अतएव यह चालू योजना है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों का कंटाई/तुड़ाई उपरांत फसलोत्तर प्रबंधन है। इससे उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर क्षति मे कमी आयेगी, भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, बाजार में उद्यानिक उत्पादों की उपलब्धता अधिक अवधि तक हो सकेगी तथा आधारभूत संरचना के सशक्त होने से कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत फसलोपरांत प्रबंधन घटकों के तहत अनुदानित दर पर कोल्ड स्टोरेज टाईप–1, कोल्ड स्टोरेज टाईप–2 एवं रिफर वान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस योजनान्तर्गत घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित कार्ययोजना अनुसूची–02 में संलग्न है।

5. योजना का घटकवार विवरण निम्नवत है :–

(i) **कोल्ड स्टोरेज टाईप–1–** उपरोक्त घटक (अधिकतम 5000 मे0 टन) का इकाई लागत अधिकतम 9600.00 रूपये प्रति मे० टन है, जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत सहायता अनुदान अधिकतम 3360.00 रूपये प्रति मे० टन देय है। सहायता अनुदान एकमुश्त वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

(ii) **कोल्ड स्टोरेज टाईप–2–** उपरोक्त घटक (अधिकतम 5000 मे0 टन) का इकाई लागत अधिकतम 12000.00 रूपये प्रति मे0 टन है जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत सहायता अनुदान अधिकतम 4200.00 रूपये प्रति मे0 टन देय है। सहायता अनुदान एकमुश्त वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

(iii) **रिफर वान–** उपरोक्त घटक (4–14 मे0 टन) का इकाई लागत अधिकतम 31.00 लाख रूपये है जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत सहायता अनुदान अधिकतम 10.85 लाख रूपये देय है। सहायता अनुदान एकमुश्त वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

6. भारत सरकार के पत्र संख्या–M-14024/18/2025–MIDH दिनांक 10.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 10350.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या–16 (BR 114) दिनांक 23.04.2026 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 3105.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2566.84 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 493.36 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 44.80 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

7. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा।

8. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 82.67 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15.89 प्रतिशत एवं 1.44 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। स्वीकृत राशि को अनुसूची–1 के अनुसार निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा SNA-SPARSH के माध्यम से व्यय किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन, वित्तीय सीमा के अधीन, प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

11. राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना योजना के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

12. इस योजना अन्तर्गत कुल 34800 मानव दिवस सृजन की सम्भावना है।

13. योजना स्वीकृति के उपरांत योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा पत्रांक ब०–15/बी० एस० जी०–57/2025/410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक, उद्यान समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा स्वयं करेंगे।

16. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी0एफ0एम0एस0 कोड –4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	8559.45	801.74651
मुख्यशीर्ष "2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01 उपशीर्ष 0235-- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9120, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1656.00	154.10369
मुख्यशीर्ष "2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01 उपशीर्ष 0257– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी0एफ0एम0एस0 कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	134.55	13.96534
कुल योग	**10350.00**	**969.81554**

17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 / वि0 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि के निकासी एवं व्यय के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40 / 2025 के पृष्ठ संख्या–141 / टि० पर दिनांक–27.07.2026 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– कृ०विप०नि० (केन्द्रीय योजना)–40 / 2025 के पृष्ठ संख्या–140 / टि० पर दिनांक–24.07.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–517 दिनांक–24.07.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40 / 2025–पी०एच०एम०-55-/ कृ0, पटना, दिनांक– 29 / 07 / 2026

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Surya 2026-27\Amit Kumar\Sanction letter\PHM 969.81554.doc

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक– 29/07 /2026

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक– 29/07 /2026

प्रतिलिपि – संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक– 29/07 /2026

प्रतिलिपि – सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक– 29/07 /2026

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित संयुक्त निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०-55-/कृ0, पटना, दिनांक– 29/07 /2026

प्रतिलिपि – उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" (60:40) के तहत बाजार के समेकित फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य संख्या/मे० टन में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य 2025–26			
				सामान्य @82.67%	अनुसूचित जाति @15.89%	अनुसूचित जनजाति @1.44%	कुल
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।	फसलोपरांत प्रबंधन	9	801.74651	154.10369	13.96534	969.81554

निदेशक उद्यान, बिहार।

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन'' (60:40) के तहत ''फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रम'' का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि

(Physical in Nos./MT & Financial in Rs. Lakh)

Sl No.	Name of the Components	Max. Permissible Unit Cost (in Lakh Rs.)	GoI Pattern of Assitance (in Lakh Rs.)	Physical Target	Financial Target (2025-26 & 2026-27)	Physical Achievment (2025-26)	Liability (2026-27)
A)	**Integrated Post Harvest Management**						
(i)	FARM GATE PACK HOUSE with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage	Upto a maximum of Rs 25.0 lakh/unit with size of 9MX6M per beneficiary	Assistance @ 50% admissible only. Note: the components has to be implemented in accordance to NCCD guidelines only	2	25.00	0	0.00
(ii)	Cold room (staging)	upto a maximum cost of Rs. 52.00 Lakh/unit	Back-ended assitance @35% in General areas	2	36.40	0	0.00
(iii)	Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Anterooms, Refrigeration Units, Electrical Installation,Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure	9600/MT (Max 5,000 MT Capacity)	Credit linked back-ended assistance @ 35%	8	1344.00	6	825.24960
(iv)	Cold Storage Type-II is defined as CS-2 with Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels, Doors and Anterooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure	12000/MT (Max 5000 MT capacity)	Credit linked back-ended assistance @ 35%	4	840.00	2	134.40000
(v)	Solar Crop Dryer	Rs. 2.50 lakh/unit of 70 kg capacity and Rs. 3.50 lakh/unit of 100 kg capacity for a maximum of 4 units per beneficiary	Assistance @ 40%	10	14.00	0.00	0.00
(vi)	Refrigerated Transport Vehicles	Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT and on prorata basis for smaller capacity but not below 4MT. However, actual cost would be derived based on quantity etc. chosen depending upon components election as per NCCD guidelines.	Credit linked back-ended assistance @ 35%	5	54.25	1	10.16594
(vii)	**Ripening Chamber also termed as CS-3**						
	i) Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	Rs. 1.00 Lakh/MT	Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas	500 M. T.	175.00	0.00	0.00
			Total :-	**531**	**2488.65**	**9**	**969.81554**

(आशिष कुमार)

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 232 दिनांक 30.03.2026 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि एवं राशि की आवश्यकता का ब्यौरा :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	अवयव	लाभुक का नाम एवं पता	कार्यादेश संख्या एवं तिथि	क्षमता (मेट्रिक टन)	इकाई लागत	सहायतानुदान का प्रतिशत	देय सहायतानुदान की राशि
1	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स सिमरी कोल्ड स्टोरेज प्रा०, लि०, समस्तीपुर।	1673 / 30.03.2026	4061	389.85600	35 प्रतिशत	136.44960
2	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स मॉडर्न अमृत फीड को० प्रा० लि० समस्तीपुर	1671 / 30.03.2026	5000	480.00000	35 प्रतिशत	168.00000
3	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स जय माँ सती कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर	1669 / 30.03.2026	5000	480.00000	35 प्रतिशत	168.00000
4	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स शिव विद्या कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, समस्तीपुर	1670 / 30.03.2026	5000	480.00000	35 प्रतिशत	168.00000
5	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स शायला एग्रोटेक, मुजफ्फरपुर	1668 / 30.03.2026	2500	240.00000	35 प्रतिशत	84.00000
6	कोल्ड स्टोरेज टाईप–1	मेसर्स नाप लॉजिस्टिक्स कोल्ड स्टोरेज, पटना	1675 / 30.03.2026	3000	288.00000	35 प्रतिशत	100.80000
7	कोल्ड स्टोरज टाईप–2	मेसर्स नाप लॉजिस्टिक्स कोल्ड स्टोरेज, पटना	1675 / 30.03.2026	1200	144.00000	35 प्रतिशत	50.40000
8	कोल्ड स्टोरज टाईप–2	मेसर्स सिद्धी एग्री कोल्ड स्टोरेज, वैशाली	1674 / 30.03.2026	2000	240.00000	35 प्रतिशत	84.00000
9	रिफर भान	श्रीमती मीसा सिंह, कटिहार	1672 / 30.03.2026	8.419	29.04555	35 प्रतिशत	10.16594
				कुल	**2770.90155**		**969.81554**

निदेशक उद्यान, बिहार।

(...क कुमार)